

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद  
(पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका, आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या- 08/2023 (वाद)

दायर दिनांक- 02/01/2023

निर्णय दिनांक- 01/08/2024

अनवान

1. श्यामलाल पिता गोपीलाल भाण्ड निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. कसना पिता शंकरलाल बैरवा निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. नारायणलाल पिता छगनलाल बैरवा निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित -

वादी की ओर से - श्री परसराम जाट, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से - श्री नवलसिंह राणावत, रतनलाल पालीवाल, अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :- 01/08/2024

**वाद बाबत् विभाजन**

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम मदारा, पटवार हल्का सकरावास, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सरहद में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 02 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 740, 741, 742, 743, 744 कुल किता-05 कुल रकबा 1.3111 हेक्टेयर स्थित है। उक्त आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा होकर, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर उभय पक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	नारायणलाल पुत्र छगनलाल बैरवा सा. चौथपुरा तह. भुपालसागर जिला चित्तौडगढ खातेदार	740 742/1 741/2	0.3723 0.0482 0.0166	1.61 0.10 0.07
	योग :-	किता-03	0.4371	1.78



सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

2.	कसना पुत्र शंकर बैरवा सा.देह खातेदार	741/1	0.2424	1.05
		742/2	0.0894	0.15
		744/2	0.0808	2.75
		743/2	0.0244	0.45
	योग :-	किता-04	0.4370	4.40
3.	श्यामलाल पुत्र गोपीलाल भाण्ड सा.देह खातेदार	744/1	0.2591	7.68
		743/1	0.1779	0.67
		योग :-	किता-02	0.4370

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)  
**सहायक कलक्टर**  
 (उप खण्ड अधिकारी)  
 रेलमगस

अनवान

1. श्यामलाल पिता गोपीलाल भाण्ड निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. कसना पिता शंकरलाल बैरवा निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. नारायणलाल पिता छगनलाल बैरवा निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दावा :- वाद बाबत् विभाजन

वादी की ओर से - श्री परसराम जाट, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से - श्री नवलसिंह राणावत, रतनलाल पालीवाल, अधिवक्ता

में इस आशय में दिनांक 01/08/2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ग्राम मदारा, पटवार हल्का सकरावास, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सरहद में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 02 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 740, 741, 742, 743, 744 कुल किता-05 कुल रकबा 1.3111 हेक्टेयर स्थित है। उक्त आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा होकर, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर उभय पक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	नारायणलाल पुत्र छगनलाल बैरवा सा. चौथपुरा तह. भुपालसागर जिला चित्तौडगढ खातेदार	740 742/1 741/2	0.3723 0.0482 0.0166	1.61 0.10 0.07
	योग :-	किता-03	0.4371	1.78
2.	कसना पुत्र शंकर बैरवा सा.देह खातेदार	741/1 742/2	0.2424 0.0894	1.05 0.15



सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

		744/2	0.0808	2.75
		743/2	0.0244	0.45
	योग :-	किता-04	0.4370	4.40
3.	श्यामलाल पुत्र गोपीलाल भाण्ड सा.देह खातेदार	744/1	0.2591	7.68
		743/1	0.1779	0.67
	योग :-	किता-02	0.4370	8.35

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 01/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



(राजेश सुवालका)  
 राज्यक कलक्टर  
 (उप खण्ड अधिकारी)  
 रेलमगरा